BY EMAIL/POST

पत्रांक – म०भो० / को०– 306/2013 1386

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति।

प्रेषक :

विनोद कुमार सिंह (भा.प्र.से.)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार पटना।

सेवा में,

सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, बिहार।

पटना, दिनांक 27/7/18

विषय : मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में संशोधित मेनू प्रर्दशित करने के संबंध में।

प्रसंगः– निदेशालय पत्रांक– 2088 दिनांक– 30.10.2017 एवं पत्रांक– 1602 दिनांक– 28.09.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय पत्रांक– 1602 दिनांक– 28.09.2016 के द्वारा माह अक्टूबर 2016 से नवीन मेनू लागू किया गया है। साथ ही निदेशालय पत्रांक– 2088 दिनांक– 30.10.2017 के द्वारा माह नवम्बर 2017 के प्रथम सप्ताह से सप्ताह में एक दिन (शुक्रवार) को अंडा / मौसमी फल दिये जाने का निदेश दिया गया है। इस तरह मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत सप्ताह में एक दिन (शुक्रवार) को अंडा / मौसमी फल को जोड़ते हुए संशोधित मेनू निम्नवत् हैः–

क्रम सं	*दिन*	*मेनू*
1	सोमवार	चावल+मिश्रित दाल+हरी सब्जी
2	मंगलवार	जीरा चावल+सोयाबीन आलू की सब्जी
3	बुधवार	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त)+चोखा+**केला / मौसमी फल**
4	वृहस्पतिवार	चावल+मिश्रित दाल+हरी सब्जी
5	शुक्रवार	पुलाव+ काबुली चना / लाल चना का छोला+ हरा सलाद+**एक सम्पूर्ण अंडा / मौसमी फल (अमरूद छोड़कर)**
6	शनिवार	खिचड़ी (हरी सब्जी युक्त)+चोखा+**केला / मौसमी फल**

परन्तु शिक्षा विभाग एवं शिक्षा विभाग से इत्तर विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान कतिपय विद्यालयों में संशोधित मेनू दीवार / सूचनापट्ट पर प्रर्दशित नहीं पाया गया जो खेदजनक है।

अतः निदेश दिया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित शत् प्रतिशत विद्यालयों में उक्त मेनू को विद्यालय के दीवार / सूचनापट्ट पर प्रर्दशित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

27/7/18

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

संलग्न–यथोक्त।